"प्रमाणित प्रति राजकार्य हेतु नि: शुल्क जारी"

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 70/2021 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2021/84

1. रानी पुत्री चाननराम पत्नि लिखमाराम जाति मेघवाल साकिन चक 2 एम.एल. डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. राधा पुत्री चाननराम पत्नि ओमप्रकाश जाति मेघवाल साकिन चक 4 एल.एस. एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

पिलान किया

1. मुकेश कुमार पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल साकिन चक 7 एल.सी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार।

—— रेस्पोन्डेंट्स

प्रमाणित
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट्स
श्री अजय ओझा अभिभाषक रेस्पोडेंट सं.1

निर्णय

दिनांक 19.09.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उप तहसीलदार जैतसर के आदेश दिनांक 08.10.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक 3 एस.ए.डी. का पत्थर नंबर 149/356 की 2.176 हैक्टेयर आवंटनशुदा भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स के पिता स्व. चाननराम को आवंटित हुई थी, जिसकी स्व. चाननराम ने अपंजीकृत वसीयत दिनांक 19.10.2011 अपीलांट्स के पक्ष में की थी, तत्पश्चात् स्व. चाननराम पुत्र

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

श्री भोमाराम ने एक अन्य रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 08.01.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में कर दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने वसीयतनामा दिनांक 08.01.2020 के आधार पर उप तहसीलदार जैतसर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन शुदा भूमि का इंतकाल को अपने नाम दर्ज करवाने का आदेश दिनांक 08.10.2021 प्राप्त कर लिया। उप तहसीलदार जैतसर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.10.2021 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री विजय कुमार पारीक ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत कृषि भूमि वाके चक 3 एस.ए.डी. का पत्थर नंबर 149/356 की 2.176 हैक्टेयर आवंटनशुदा भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट्स के पिता स्व. चाननराम को हुआ था, जिसका वसीयतनामा दिनांक 08.01.2020 के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 01 ने इंतकाल अपने नाम दर्ज करवाने का आदेश प्राप्त कर लिया, जबकि वसीयत दिनांक 08.01.2020 गैर खातेदारी भूमि की पेश की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय को विवादित वसीयत प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था। वादगत भूमि के अतिरिक्त चक 2 एम. एस.डी. का पत्थर नंबर 146/345 में 6.325 हैक्टेयर भूमि में चाननराम का 1/4 हिस्सा था। स्व. चाननराम के केवल दो पुत्रियां ही थी। चाननराम ने उपरोक्त दोनों भूमि की वसीयत दोनो पुत्रियों के हक में कर दी थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बैयनामा स्व. चाननराम से प्लॉट का करवा रखा हैं तथा गोदनामा भी तथाकथित बनवा रखा है जबकि वसीयत की मांग में गोदनामें का कोई हवाला ही नहीं है। अपीलांट्स ने सिविल न्यायालय में वसीयत निरस्ती हेतु दावा पेश किया हुआ है, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित हो चुका है। बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय ने बिना इस बात पर गौर किये ही निर्णय पारित कर दिया, जो काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

मिलान किया

प्रमाणित
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत प्राप्त हुई। उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वसीयतनामें के आधार पर उप तहसीलदार जैतसर के समक्ष इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर उप तहसीलदार जैतसर ने दिनांक 08.10.2021

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को इंतकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जो न्यायोचित है। वादग्रस्त भूमि स्व. चाननराम की आवंटनशुदा भूमि है, जिसकी रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 08.01.2020 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में है। अभिभाषक अपीलांट के कथन अनुसार पूर्व में अपीलांट्स के पक्ष में स्व. चाननराम ने दिनांक 19.12.2011 को वसीयत कर रखी थी, किन्तु वसीयत के नियमानुसार अंतिम वसीयत ही लागू होती है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में हैं। वादग्रस्त भूमि स्व. चाननराम की स्वअर्जित भूमि है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में की गई वसीयत सही एवं न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जैतसर के समक्ष प्रस्तुत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 08.01.2020 संदिग्ध प्रतीत होती हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2021 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में दर्ज इंतकाल भी अवैध प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट आशिंक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप—तहसीलदार जैतसर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2021 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से दर्ज इंतकाल निरस्त करते हुए अपील अपीलांट इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधिनस्थ न्यायालय उभय पक्ष को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

मिलान किया

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रमाणित
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त
बीकानेर

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर